न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

वाद संख्याः–51/2023 दर्ज तिथिः–03.04.2023

1. श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री चुन्नीलाल जी जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी जमालखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा

................वादी

बनाम

1. श्री हुक्मीचन्द पिता श्री चुन्नीलाल जी जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी जमालखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा वगैरा

..................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा
प्रतिवादीगण अधिवक्ता– स्वयं प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53 व 209
राजस्थान राज.काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश किया। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 जा0दी0 प्रार्थी रामपाल पिता मोहनलाल निवासी जमालखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की और से निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

2. यह कि माननीय न्यायालय में एक दावा घोषणा व बटवाडे का लक्ष्मीलाल पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी जमालखेडा तहसील निम्बाहेड़ा ने हुक्मीचन्द पिता चुन्नीलाल, शोभालाल पिता चुन्नीलाल मुझ प्रार्थी रामपाल पिता मोहनलाल धाकड नाबालिग सरपरस्त माता कैलाशी बाई और कैलाशी बाई बेवा मोहनलाल के खिलाफ दिनांक 24.05.2016 को पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर तामिल जारी हुई यह दावा केम्प कोर्ट बाडी में दिनांक 02.06.2016 को प्राथमिक डिक्री कर दिया और प्राथमिक डिकी की पालना में दिनांक 05.10.2016 [illegible] दिया परन्तु प्राथमिक डिकी प्रकरण सं0 106/2016 जो चाके मोजा [illegible] आराजियात नम्बर 351 352, 353, 354, 369, 370, 371 [illegible] भूमि की प्राथमिक डिक्री जारी की प्राथममिक [illegible] प्रार्थी का [illegible] टाईपिंग मिस्टेक से [illegible] से रामपाल के बजाय रामलाल [illegible] भी प्रार्थी का नाम [illegible] है। और राजीनामा प्रस्ताव में प्रार्थी का नाम रामपाल [illegible] लिखा हुआ है। इसीलि[illegible] डिक्री प्रकरण संख्या 106/2016 निर्णय दिंनाक 02.06.2016 में रामलाल के बजाये रामपाल किया जावें इसी प्रकार अन्तिम डिक्री प्रकरण संख्या 106/2016 निर्णय दिनांक 05.10.2016 में भी प्रार्थी का नाम रामलाल के बजाये रामपाल दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा । प्रार्थी के दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी के संलग्न दस्तावेजाज आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक SPL–2022 दिनांक 19.12.2022 अनुसार रामपाल पिता मोहनलाल जारी किया। इस अनुसार प्रकरण में रामपाल पिता मोहनलाल के प्राथमिक डिक्री प्रकरण संख्या 106/2016 निर्णय दिंनाक 02.06.2016 में रामलाल के बजाये रामपाल किया जावे इसी प्रकार अन्तिम डिक्री प्रकरण संख्या 106/2016 निर्णय दिनांक 05.10.2016 में प्रार्थी रामलाल के बजाये रामपाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 152,153 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाता है कि एवं इस न्यायालय के द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री प्रकरण संख्या 106/2016 निर्णय दिंनाक 02.06.2016 में रामलाल के बजाये रामपाल किया जावे इसी प्रकार अन्तिम डिक्री प्रकरण संख्या 106/2016 निर्णय दिंनाक 05.10.2016 में प्रार्थी रामलाल के बजाये रामपाल दुरूस्त के आदेश प्रदान किया जाता है।
तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को कैम्प कोर्ट बाड़ी में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

15/5/23

(रमेश [illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:02 IST
Reason: SelfAttested